अध्याय - X

सांविधानिक और वैधानिक संशोधन

10.1 पूर्ववर्ती सभी अध्यायों में हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षणों के कार्यकरण के संबंध में विश्लेषण और चर्चा की है और साथ ही कतिपय अधिनियमों तथा नियमों में परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया है। इस अध्याय में हम संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1955 में कतिपय अन्य परिवर्तनों की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे।

अनुच्छेद 338 में संशोधन

10.2 जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, बहु सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए 65 वें सांविधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। इसके तहत आयोग को व्यापक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौपीं गई थीं। इस संशोधन के अनुसरण में स्थापित आयोग ने संविधान तथा अन्य संबद्ध अधिनियमों तथा नियमों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणो के कार्यकरण के संबंध में जाँच–पड़ताल करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। आयोग में आने वाली शिकायतों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। तथापि यह हमारा दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा है कि व्यापक जांच–पड़ताल के बावजूद भी कई विभाग/प्राधिकरण आयोग के निदेशों और निष्कर्षों को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं समस्या केवल संबंधित विभागों/ प्रबंधको के रवैये की नहीं है। बल्कि वस्तुतः अनुच्छेद 338 में, जैसा कि इस समय प्रतिपादित हैं, आयोग को दी गई शक्तियों में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि आयोग की सिफारिशें और निदेश बाध्य हैं। इस प्रकार इस स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि अनुच्छेद 338 में संशोधन करने और आयोग को, सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा अपने निष्कर्षों के कार्यान्वयन के संबंध में, निदेश जारी करने की शक्ति देने की वास्तव में आवश्यकता है और इसका पूरा औचित्य भी है और साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि सुरक्षणों का उल्लंघन करने वाले लोक सेवकों, के विरूद्व कार्रवाई की जानी है।

10.3 यह भी देखा गया है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें सरकार द्वारा काफी लम्बे समय से संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और संविधान में इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार भी की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय ले

रही है। इस तरह आयोग के सुझाव/सिफारिशें न तो सदन को और न ही अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को प्राप्य है। धीरे–धीरे इनका महत्व ही समाप्त हो जाता है और ये निष्फल बन जाते हैं। की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट को संसद में मुख्य रिपोर्ट से अलग प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। इस प्रकार यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर संसद में रिपोर्ट रखी जाए और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट छः माह के भीतर प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट के उन भागों को जिनका संबंध विधान मंडलों से है, संबंधित राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए भी इसी प्रकार समय सीमा निर्धारित की जाए।

10.4 इस संबंध में संशोधन के लिए प्रस्ताव **अनुबंध 10.1** में देखा जा सकता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, नियमावली 1995 और नागरिक अधिकर संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधन

10.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की आवश्यकता पर काफी समय से आयोग का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। आयोग ने इन दोनों अधिनियमों के कार्य करण के संबंध में विभिन्न जनसभाओं में बहुत प्रकार से विचार–विमर्श किए है। 30.11.1996 को गाजियाबाद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के नागरिक अधिकारों के लिए "पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। बाद में आयोग द्वारा 16. 12.96 को नई दिल्ली में सभी राज्यों के गृह सचिवों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के विरूद्व अपराध और अत्याचार के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। आयोग ने संबंधित मंत्रालयों और इन दोनों अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों को निपटाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक अभियोजको के साथ बैठक भी की थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ अपनी समीक्षा बैठकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्व निरंतर हो रहे अपराधों और अत्याचारों तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षित उपायों और साधनों पर विशेष ध्यान दिया गया था। आयोग को विभिन्न अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठनों, (नेशनल एक्शन फोरम फार सोशल जस्टिस) से भी उपर्युक्त अधिनियमों में संशोधन करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं।

10.6 आयोग के मुख्यालय में ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्व हुए अपराधों और अत्याचारों के संबंध में 800 से भी अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न फोरमों में हुए उपर्युक्त विचार –विमर्शों/बैठकों और उसमें दिए गए सुझावों के आधार पर आयोग ने उपर्युक्त अधिनियमों और नियमों में संसोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसे **अनुबंध-10.II** में देखा जा सकता है।

10.6 इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अत्याचार से पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले और उनके मामलों पर तुरंत विचारण हो, इसमें कुछ ऐसे अपराध भी शामिल हैं जिन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया है और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए जिससे जानबुझकर और जाति पर आधारित अपराधों को रोका जा सके। आयोग सिफारिश करता है कि भारत सरकार संविधान में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति नियमावली, 1995 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधनों पर शीघ्र विचार करे।

संविधान के अनुच्छेद 338 में प्रस्तावित संशोधन

संविधान के अनुच्छेद 338 में विद्यमान उपबंध	अनुच्छेद 338 में प्रस्तावित संशोधन
खंड 5 (क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या इस समय प्रवृत्त किसी विधि या सरकार के किसी आदेश के आधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुतीक्षण करना और ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना और सुधारक कार्रवाई / कार्यान्वयन के लिए ऐसे निदेश / निष्कर्ष जारी करना।
5 (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित किए जाने से सबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और सुधारात्मक कार्रवाई/ कार्यान्वयन के लिए ऐसे निदेश/ निष्कर्ष जारी करना।
5(ख) (।) (शामिल किया जाना है)	जहां जांच करने से यह पता चलता है कि किसी लोक सेवक ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सुरक्षणों का उल्लघंन किया है अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सुरक्षणों के उल्लंघन को रोकने में लापरवाही बरती है तो संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सुधारात्मक उपाय करने और संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्व मुकदमों की कार्यवाही अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई, जो आयोग उचित समझे, की सूचना देने की सिफारिश की जाए।

खंड–6 राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें संघ से संबंधित सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि किसी सिफारिश को स्वीकृत नही किया गया है तो उसके कारण बताए जाएगें।

खंड–7 जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय के बारे में है जिसका संबंध किसी राज्य सरकार से है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवायेंगे। रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उस राज्य से संबंधित सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि किसी सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया है तो उसके कारण बताए जाएंगे।

राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाऐगें और एक ज्ञापन इसे प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाऐगें जिसमें संघ से संबंधित सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि किसी सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया गया है तो उसके कारण बताए जाएंगे। जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय के को बारेमें है जिसका, संबंध किसी राज्य सरकार से है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे तीन माह के भीतर राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे, और एक ज्ञापन इसे प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर राज्य के गया विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे, जिसमें उस राज्य से संबंधित सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि किसी सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया गया है तो उसके कारण बताए जाएंगे।

अनुबंध -10.II

(संदर्भ पैरा 10.6)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में प्रस्तावित संशोधन

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधन

अधिनियम में मूल उपबंध	प्रस्तावित संशोधन
3.(I) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है	"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है" शब्दों को हटा दें।
3 (i) (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को "बेगार" करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बालत्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा।	"श्रम के लिए मजदूरी अथवा संविदागत मजदूरी की भुगतान करने से इंकार करता है "शब्दों को अंत में जोड़ जाएं।
3.(i) (xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा।	धारा 3.(i) (xii) को पूरा हटा दिया जाए और धारा 3.(i) (xiii), 3.(i) (xiv) और 3.(i)(xv) को 3.(i) (xii), 3.(i) (xiii) और 3.(i) (xiv) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाए।
नई धारा 3.(i) (xv), (xvi) और 3 (2) (i), (ii) और (ii) शामिल की जानी है।	3.(i) (xv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को धमकाकर धन वसूलता है।
	3.(i) (xvi) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातिके व्यक्तियों का बहिष्कार करता है अथवा बहिष्कार में सहायता करता है।
	3.(2) कोई भी व्यक्ति (i) जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग

उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती,करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नही होगी किंतु जो आजीवन कारावास हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(ii) जिसका अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सामूहिक बलात्कार और सामूहिक हत्या में दोषसिद्व होता है, वह आजीवन कारावास, जिसमे मृत्यु का दंडादेश भी हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(iii) जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 339 से 366 के अधीन अपराध करेगा, वह भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रदत्त दुगने जुर्माने और दंड, दोनों से दंडनीय होगा।

4. कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह करावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

"जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है" शब्दों को हटादें और "छह माह किंतु एक वर्ष तक की हो सकेगी" के स्थान पर "दो वर्ष" रखा जाए।

4 (।) (जोड़ा जाना है)

अपराधों को उकसाने वाले भी समान रूप से दंडनीय है, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उपबंधित है।

धारा 14 राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक

"विनिर्दिष्ट" शब्द के स्थान पर "स्थापित" शब्द रखा जाए और "सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में" शब्दों के स्थान पर "सेशन न्यायालय के स्तर को विशेष न्यायालय" शब्दों को रखा जाए।

जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।	
धारा 24 (जोडी जानी है)	इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय है और संक्षिप्त विचारण के अधीन हैं।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 में प्रस्तावित संशोधन

नियमों में मूल उपबंध	प्रस्तावित संशोधन
7 (2) उप–नियम (।) के अधीन नियुक्त अन्वेषण अधिकारी परम अग्रता के आधार पर तीस दिन के अंदर अन्वेषण कार्य पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसके पश्चात उसे उस राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक को तत्काल भेद देगा।	अंत में यह जोड़ी जाए– "और तीन माह के भीतर विचारण पूरा किया जाए"
7 (3) नई धारा जोड़ी जानी है)	यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में विनिर्दिष्ट न्यायालय सेशन न्यायालय हैं और इसलिए अपराधों का विचारण निचले स्तर के न्यायालयों में कार्यवाहियों की सुपुर्दगी के माध्यम से की जाती है जो शीघ्र विचारण के लिए उचित नहीं है। अब से यह विचारण विशेष न्यायालयों में ही किए जाएं। पुरानी धारा –6 (3) को धारा 6(4) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाए।

(ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधन

धारा (3)

धारा 3 के अंतिम पैराग्राफ में "एक मास और अधिक से अधिक" शब्दों और "एक सौ रूपए और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए।

धारा (4)

धारा 4 के अंतिम पैराग्राफ में "एक मास और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए और इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में भी "एक सौ रूपए और अधिक से अधिक" शब्द को हटा दिया जाए।

धारा (5)

धारा 5 के अंतिम पैराग्राफ में "एक मास और अधिक से अधिक" और अंतिम पंक्ति में "एक सौ रूपए और अधिक से अधिक शब्दों को हटा दिया जाए।

धारा (6)

धारा 6 में "एक मास और अधिक से अधिक शब्दों और "एक सौ रूपए और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए।

धारा (6)

धारा 6 में उप–धारा (।) के अंतिम पैरा में "एक मास और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए। इसी पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में एक सौ रूपए और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए।

उप –धारा 6 (2) (।।) में अंतिम पैरा में "एक मास और अधिक से अधिक शब्दों और "एक सौ रूपए और अधिक से अधिक शब्दों को हटा दिया जाए।

उप–धारा 6 (क) में "तीन मास और अधिक से अधिक" शब्दों को हटाया जाए। अंतिम पंक्ति में "एक सौ रूपए और अधिक से अधिक "शब्दों को हटाया जाए।

नई धारा 6 (3) जोडी जानी है

नई उप–धारा 6 (।) (3) जोड़ी जाए जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि अपराधों को फुसलाने वाले भी समान रूप से दंडनीय हैं जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उपबंधित है।

धारा 11

धारा।। की उप–धारा ।। (क) में "छः माह और अधिक से अधिक एक वर्ष" "शब्दों को हटा दिया जाए और उनके स्थान पर "दो वर्ष" शब्दों को रखा जाए। अंतिम पंक्ति में "दो सौ रूपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रूपए शब्दों को हटा दिया जाए और "दो हजार रूपए" शब्दों को जोड़ा जाए।

धारा।। की उप–धारा ।। (ख) में "एक वर्ष और अधिक से अधिक दो वर्ष से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर "तीन" वर्ष शब्दों को रखा जाए और अंतिम पंक्ति में "पांच सौ रूपए और अधिक से अधिक एक हजार" शब्दों को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर "तीन हजार रूपए" शब्दों को रखा जाए।